राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

Website www.uniraj.ac.in, E-mail acad.2uor@gmail.com

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2023/ दिनांक 15-7-23

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 14.07.2023 की अनुशंसा जो कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित है, में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

1. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों/विभागों में संचालित यू.जी./पी.जी. डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों, जिनमें मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, में प्रवेश हेतु दिनांक 17.07.2023 से 20.07.2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने तथा प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की वरियता सूची शतप्रतिशत दिनांक 23.07.2023 को जारी कर दिनांक 23.07.2023 से 25.07.2023 तक मैरिट सूची में शामिल छात्र/छात्राओं के दस्तावेज सत्यापन करने व महाविद्यालय/विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों/विभागों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश (प्रथम वर्ष) हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की वरीयतानुसार प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक 31.07.2023 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
3. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों/विभागों के परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की पुनः प्रवेश (Re-admission) की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने व विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क दिनांक 31.07.2023 तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों/विभागों/केन्द्रों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश एवं पुनः प्रवेश (Re-admission) दिए जाने वाले छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध ABC फॉर्म का प्राफोर्मा व सम्बन्धित दिशा–निर्देश के अनुसार Academic Bank of Credits (ABC) के फॉर्म भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

— Sd —

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव शैक्षणिक–2)

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2023/6252-6300 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, रा.वि.वि., जयपुर।
2. प्राचार्य/प्रचार्या, समस्त संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/कोर्डिनेटर (शैक्षणिक/अशैक्षणिक), रा.वि.वि., जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
5. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करावें।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।

kuldeep 15.7.2023

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव शैक्षणिक–2)